न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 20 / 2023

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मंजूला पत्नी बांकाराम जाति सुथार, निवासी पायलां कलां, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. भोलाराम पुत्र देवाराम जाति रबारी 2. उमेदाराम पुत्र तजाराम जाति जाट 3. मदनकंवर पत्नी नीम्बसिंह जाति राजपुत 4. रामभारती चेला गोपालभारती जाति स्वामी 5. हुसैनखान पुत्र रायधनखान जाति मुसलमान निवासी पायला कलां, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:02 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक –07.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्राथीर्नी का खेत मौजा पायला कलां पटवार हल्का पायलां कलां में खसरा संख्या 590 / 1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर खातेदारी का

उपखण्ड अधिकारी

अवस्थित है। प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा खेत मौजा राजस्व ग्राम पायला कलां पटवार हल्का पायलां कलां में खसरा संख्या 590/1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्राथीनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा राजस्व ग्राम पायला कलां पटवार हल्का पायलां कलां में खसरा संख्या 590/1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर आई हुई है। प्राथीनी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा राजस्व ग्राम पायला कलां पटवार हल्का पायलां कलां में खसरा संख्या 590/1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्राथीनी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा पायला कलां पटवार हल्का पायलां कलां में खसरा संख्या 590/1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्राथीनी विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्राथीनी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश [illegible] किन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:02 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थीनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया [illegible]कर मौजा पायला कलां पटवार हल्का पायलां कलां में खसरा संख्या 590/1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया

उपखण्ड अधिकारी

जाता है,उक्त कार्यवाही प्राथीर्नी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:02 IST
Reason: SelfAttested